Scholarship Jankari

Year	Name of the Scheme	No. of Student by govt scheme and amount	
		NUMBER of Students	Amount
2015-16	Post Matric Scholarship	899	4830401
	Awaas Yojana	08	160000
2016-17	Post Matric Scholarship	1076	6630331
	Awaas Yojana	14	196500
2017-18	Post Matric Scholarship	1496	7921799
	Awaas Yojana	193	3366500
2018-19	Post Matric Scholarship	1274	7640501
	Awaas Yojana	281	5750350
2019-20	Post Matric Scholarship	1560	9474211
	Awaas Yojana	326	7299500

कार्यालय आयुक्त,उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन,भोपाल.

क्रमांक 768 / 354 / आउशि / छा. / 2018, भोपाल, दिनांक 13-8-18

प्रति,

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
2. प्राचार्य, समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश,
3. प्राचार्य, समस्त गैर अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
4. कुलसचिव, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश

विषय– पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्रमांक 2676 में आंशिक संशोधन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही बाबत ।

संदर्भ–उपायुक्त, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक / पी.एम.एस. / डी.पी.आर. / 2018--19 / 17511,भोपाल,दिनांक 31.07.2018

——0——

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र एवं संलग्नक सहपत्रों की छायाप्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है। आयुक्त, कार्यालय जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक / पी.एम.एस. / 2017–18 / 961,भोपाल, दिनांक 11.01.2018 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आयुक्त,उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

13/8/18
(डॉ0 धीरेन्द्र शुक्ल)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

क्रमांक 769 / 354 / आउशि / छा. / 2018, भोपाल,दिनांक 13-8-18

प्रतिलिपि–

1. उपयुक्त, कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. प्रभारी अधिकारी, आई. टी. सेल, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल। कृपया वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,मध्यप्रदेश

डॉ. रैदास
14-8-18

म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक /एफ 12-01/11/54-1 दिनांक 12.12.2013 द्वारा पिछडा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना को शासित करने वाले विनियम 2013 प्रतिस्थापित किए गये है। शासन द्वारा जारी इन नियमों में निम्नानुसार नये/संशोधित नियम जोडे जाने है।

1. नियम 5.3 फीस के पश्चात 5.3 (क) होगा म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक /773/2015/54-1 दिनांक 09.09.2015 अनुसार कि प्रदेश में भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में पूरी फीस देय होगी। इन विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित ही मान्य की जानी है जो कि वर्तमान में रू.1.00 लाख वार्षिक निर्धारित है।

2. नियम 11-आवेदन करने की अंतिम तिथि के बिन्दु क्रमांक 11.1 को निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाना है कि वितीय वर्ष 2015-16 से पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति पोर्टल पर विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर के स्थान पर 31 जनवरी की जाती है, साथ ही ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी परीक्षायें विलंब से होती है या परीक्षा परिणाम विलंब से प्राप्त होते है इन पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों हेतु पोर्टल पर अलग से सुविधा कराई जाकर "परीक्षा परिणाम अपेक्षित है" की लंबित सूची में रखा जाये। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत इन विद्यार्थियों द्वारा अंकसूची को एक माह के भीतर पोर्टल पर आपलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

3. नियम 10 छात्रवृति देने के लिये अन्य शर्तो में 10.1 के बाद 10.1 (क) जोड़ा जाना है -

10.1 (क) शिक्षण संस्था को संस्था में संधारित अभिलेखों में विद्यार्थियो की मूल टी.सी. संधारित की जाना अनिवार्य है तथा अगले चरण हेतु विद्यार्थी का फार्म फारवर्ड करते समय विद्यार्थी की टी.सी. अपलोड करने की जिम्मेदारी शिक्षण संस्था की होगी।

4. नियम 12 आवेदन की प्रक्रिया में 12.1 (च) के पश्चात जोड़ा जाना है-

12.1 (छ). आवेदन की प्रक्रिया छात्रवृति पोर्टल पर (पहले आओ पहले पाओ) अर्थात प्रथम आवेदनकर्ता विद्यार्थी के संबंध में निर्णय करने पर ही अगले विद्यार्थी के संबंध में निर्णय लिये जाने के आधार पर आवेदन स्वीकृत करने की प्रावधान किया गया है।

ज) विद्यार्थियों द्वारा पोर्टल पर आनलाईन रजिस्ट्रेशन पश्चात 07 दिवस के अन्दर आवेदन लॉक नहीं किया जाता है तो विद्यार्थी का आनलाईन रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जायेगा ताकि अनावश्यक रूप से विद्यार्थियों द्वारा रजिस्ट्रेशन करने पश्चात आगे की कार्यवाही न करने से पोर्टल पर अनुपयोगी डाटा विलोपित किया जा सके।

झ) विद्यार्थियों के द्वारा अंतिम रूप से पोर्टल पर आवेदन लॉक करने के 15 दिवस में आवश्यक अभिलेख संबंधित शिक्षण संस्था में जमा किये जाये तथा शिक्षण संस्थाओं के द्वारा विद्यार्थियों से आवश्यक अभिलेख प्राप्त होने के 15 दिवस में प्राप्त आवेदनों का आनलाईन निराकरण किया जाना अनिवार्य किया गया है।

ड) छात्रवृति के नवीनीकरण में केवल दो अभिलेख स्वयं प्रमाणित आय प्रमाण पत्र तथा पिछली कक्षा की अंक सूची ही स्केन कर अपलोड की जाये।

ट) विद्यार्थियों द्वारा आय/जाति के संबंध में स्व-घोषित एवं अंक सूचियां/अन्य प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतियां छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड की जायें।

SC ST आय सीमाबंधन समाप्त
पो. मै. छात्रवृत्ति

(6)

मध्यप्रदेश शासन,
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 23-11/2017/25-5 भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर, 2018

प्रति,

आयुक्त,
अनुसूचित जाति विकास,
भोपाल

विषय: अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में संशोधन।

संदर्भ: समसंख्यक आदेश दिनांक 15 जनवरी, 2018

उपरोक्त विषय में संदर्भित आदेश का अवलोकन करें जिसके द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 हेतु निरन्तरता पदान की गई है।

राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की वर्ष 2017-18 से 2019-20 की प्रदान की गई निरन्तरता में वित्तीय आकार केंद्रांश राशि रू. 18764.81 लाख तथा राज्यांश राशि रूपये 83735.19 लाख के निर्धारण के साथ निम्नानुसार संशोधन अनुसार निरन्तरता की स्वीकृति प्रदान करता है:-

(1) जिन अशासकीय संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के लिए "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा फीस निर्धारित की गई है उनके शुल्क की प्रतिपूर्ति की आय सीमा रू. 3.00 लाख से बढ़ाकर रू. 6.00 लाख वार्षिक की जाती है। रूपये 2.50 लाख तक की आय सीमा का व्यय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा और रूपये 2.50 लाख से रू. 6.00 लाख तक का व्यय भार राज्य शासन वहन करेगा।

अशासकीय संस्थाओं में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनकी फीस "प्रवेश एवं फीस नियामक समिति" एवं "निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग" द्वारा निर्धारित नहीं की गई है उन पाठ्यक्रमों की फीस पूर्ववत शासकीय संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के समतुल्य भुगतान की जायेगी।

(2) मा. मुख्यमंत्रीजी की घोषणा क्रमांक बी 1694 अनुसार कक्षा 01 से पी एच डी तक शासकीय एवं शासकीय वित्त पोषी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाना है। उक्त घोषणा के आधार पर "पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" अंतर्गत अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की आय सीमा का बंधन समाप्त किया जाता है।

JD

12 SEP 2018

AD शिक्षा
प्रस्तुत करें
12/9/18

24-9-18
आवक 466
PMS/SC

Scanned by CamScanner

बेबसाईट

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12.09.2018

865/14/आउशि/छा.शा./18

1. कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

2. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा,
इंदौर/उज्जैन/भोपाल/नर्मदापुरम/ग्वालियर/रीवा/जबलपुर/सागर संभाग,म.प्र.

3. प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश ।

4. संचालक,
फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान,
पुणे (महाराष्ट्र)

5. संचालक राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय,
नई दिल्ली

6. संचालक,
राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय,
नई दिल्ली.

विषयः--मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र. की एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्तियाँ वर्ष 2018– 2019 हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने बाबत् ।

–0–

इस कार्यालय के पत्र कमांक 673 दिनांक 18.07.2018 के द्वारा राज्य शासन (उच्च शिक्षा विभाग) द्वारा मध्यप्रदेश की एकीकृत/संस्कृत छात्रवृत्तियों के लिये वर्ष 2018–19 हेतु छात्र--छात्राओं से आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिये प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों एवं रोजगार निर्माण में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 31.10.2018 निर्धारित की गई ।

उपरोक्त छात्रवृत्तियों के संबंध में लेख है कि समस्त महाविद्यालय/संस्था के प्रमुख से छात्र/छात्राओं ने छात्रवृत्ति के लिये आवेदन के फार्म अग्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उन्होंने "मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना" एवं "मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" का लाभ तो नहीं लिया है। यह सुनिश्चित करने के बाद ही आवेदन पत्र अग्रेषित करें ।

(डॉ.धीरेन्द्र शुक्ला)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12.9.2018

क्रमांक 866/14/आउशि/छा.शा./18

प्रतिलिपि–
निज सहायक,आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रभारी अधिकारी,आई.टी.सेल,उच्च शिक्षा संचालनालय,भोपाल। कृपया विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करवाने का कष्ट करे।

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश